ग्राम पंचायत चैतड़ू, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176209 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत चैतड़ू, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा हि0प्र0 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती सीमा देवी	01.04.2024 से 31.03.2025

सचिव :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती सविता देवी	01.04.2024 से 13.06.2025

तकनीकी सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री रोहित कुमार	01.04.2024 से 06.11.2024
2	श्री ओंकार दत्त	07.11.2024 से 31.03.2025

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती आशा देवी	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत चैतडू के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	1.61
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	17.57
3	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.54
4	7.2	दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली शेष होना	0.14
5	8	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.02
6	9.1	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.06
7	9.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	0.67
8	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	3.88

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/207 दिनांक–29.03.2025 द्वारा अनिर्णीत पैरों पर ही कार्यवाही करते हुये केवल 10 पैरों की अनुपालना का सत्यापन करवाया गया तथा शेष बचे 24 पैरों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। यह अति गम्भीर चूक है, जो कि संस्था का अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अतः प्राथमिकता के आधार पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष 24 पैरों के साथ–साथ वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित अंकेक्षण आपतियों पर भी अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क्र0 सं0	पैरा सं.	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	5	अनिर्णीत	—
2.	5(1)(2) (3)	अनिर्णीत	—
3.	6	अनिर्णीत	—
4.	7	अनिर्णीत	—
5.	10	अनिर्णीत	—
6.	12	अनिर्णीत	—
7	13	अनिर्णीत	—
8	14	अनिर्णीत	—
9	15	अनिर्णीत	—

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त
2.	5.1	अनिर्णीत	—
3.	8	अनिर्णीत	
4.	10	अनिर्णीत	—
5.	11	अनिर्णीत	
6	12	अनिर्णीत	
7	15	अनिर्णीत	

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ 86 से करने उपरान्त
2.	4 क,ख	स्वतः निर्णीत	वित्तीय स्थिति

3.	4.1	निर्णीत	वित्तीय स्थिति व बैंक के अन्तशेषों में शून्य अन्तर के दृष्टिगत
4.	4.2	अनिर्णीत	—
5.	5	निर्णीत	अनुदानो के व्यय से सम्बन्धित संलग्न अभिलेख के दृष्टिगत
6	6	अनिर्णीत	—
7	7	अनिर्णीत	—
8	8	अनिर्णीत	—
9	9	अनिर्णीत	—
10	10	अनिर्णीत	—
11	11	अनिर्णीत	—
12	12	अनिर्णीत	—
13	13	निर्णीत	राशि 600 की वसूली रसीद संख्या 0096691 द्वारा करने उपरान्त, दिनांक 28.06.2023 को खाता संख्या 20058006755 में जमा करवा दी गई है।
14	14	निर्णीत	राशि 1345 की वसूली रसीद संख्या 0096710 द्वारा करने उपरान्त, दिनांक 25.07.2023 को खाता संख्या 20058006755 में जमा करवा दी गई है।
15	15	निर्णीत	राशि 3400 की वसूली रसीद संख्या 0096711 द्वारा करने उपरान्त, दिनांक 25.07.2023 को खाता संख्या 20058006755 में जमा करवा दी गई है।
16	16	अनिर्णीत	—
17	17	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
18	18	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत चैतड़ू के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28.04.2025 से 03.05.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीम वाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया

गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2023–25	02/2025	12/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/289 दिनांक–03.05.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि कांगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक गगल के मल्टीसिटी चैक संख्या 464927 दिनांक 20.05.2025 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2025/277 दिनांकः–28.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2024-25	322582	77732.00	400314.00	152308.00	248006.00

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2024-25	1011712.17	5419919.27	6431631.44	4674903.21	1756728.23

कुल योग (1+2)248006.00+1756728.23=**2004734.23**

(ख).बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹20,04,734.23 तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट–3**" के अनुसार अन्तशेष ₹18,44,176.23 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

बैंक खातों की विवरणीः–				
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत	का•के•सह•बैंक गगल	20058006755	247491
2	5वॉं वित्त	का•के•सह•बैंक गगल	20058021242	38721
3	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक गगल	50060928796	98735
4	एस.डी.पी/एस.डी.आर.एफ	का•के•सह•बैंक गगल	50060928854	301060
5	15वॉं वित्त/पी.एस/जेड.पी	यूको•बैंक चैतडू	33400110017135	1157639.23
6	आर.जी.एस.ए	एक्सिस बैंक धर्मशाला	922010000398941	15
7	हस्तगत शेष दिनांक 31.03.2025 को स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड बही के अनुसार			515
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 को कुल योगः–				₹1844176.23
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹2004734.23
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2025 का अन्तशेषः–				₹1844176.23
अन्तरः–				₹160558

नोटः– अन्तर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेषों में राशि ₹1.61 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत चैतड़ू द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹160558/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/279 दिनांकः–30.04.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–07 दिनांकः–03.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, उक्त राशि का अन्तर पाया गया, जिसकी बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

4.2 निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/— तक की राशि ही इम्पैस्ट रूप में रखी जा सकती है।

नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार प्रावधित सीमा से अधिक नकद राशि को हस्तगत रखा गया था, जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है :—

अतः इस अनियमितता का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	रो॰ ब॰ पृ॰	दिनाँक	सीमा से अधिक रखी गई राशि (₹)
1.	09	16.08.2024	3419
2.	10	21.08.2024	3419
3.	15	23.10.2024	2890
4.	16	22.11.2024	3290
5.	20	27.01.2025	2375
6.	22	24.02.2025	9475

5 **निवेश न करने बारेः—**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹3,26,484 से ₹2,47,491. तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/290 दिनांकः 03.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या—07 दिनांक 03.05.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अन्तर्गत उल्लेखित प्रारूप—1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की राशि ₹17.57 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/277 दिनांकः–28.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹17,56,728.23/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	5वाँ वित्त	31.03.2025	38721.00
2	वी.के.वी.वाई.एन	31.03.2025	98735.00
3	एस.डी.पी	31.03.2025	102760.00
4	एस.डी.आर.एफ	31.03.2025	198300.00
5	आर.जी.एस.ए	31.03.2025	15.00
6	एस.जी.एस.वाई	31.03.2025	47036.00
7	आर.ए.वाई	31.03.2025	1568.00
8	13वाँ वित्त	31.03.2025	119697.00
9	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1149896.23
		कुल जोड	**1756728.23**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/280 दिनांक–30.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 07 दिनांकः–03.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.54/– की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/277 दिनांकः–28.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में ₹53660/– की राशि दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2025 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि व अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/281 दिनांकः–30.04.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–07 दिनांकः–03.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा मांग व संग्रहण रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को दिए गए आश्वासन के दृष्टिगत बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

दुकानों के किराये से आयः—

7.2 दुकानों के किराये की बकाया ₹0.14 लाख का वसूली हेतु शेष होनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी तथा प्ररूप 10 में इससे सम्बन्धित मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां/2025/277 दिनांकः—28.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक दुकानों के किराये के रूप में **₹14300/—** की राशि वसूली हेतु शेष थी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर का न तो वार्षिक आधार पर और न ही माहवार अनुरक्षण किया गया था, जिसके अभाव में दिनांक 31.03.2025 को दुकान किराया वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत द्वारा इस किराये की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई गई थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित वसूली हेतु गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व बकाया इसी तरह बढ़ता रहा तो एक समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो सकता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/282 दिनांकः—30.04.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—07 दिनांकः—03.05.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि करने उपरान्त सूचित किया गया कि, इस बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा व उक्त से सम्बन्धित मांग व सग्रहण रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर उपरोक्त नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत बकाया पंचायत राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार कारगर कदम उठाया जायें तथा मांग व संग्रहण रजिस्टर को तैयार करना सुनिश्चित करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

7.3 संचालित दुकानों के किराया वसूली करने हेतु उचित प्रक्रिया पालन किये बिना पंचायत परिसर को किराये पर देने से संभावित राजस्व हानि बारेः–

हि•प्र• पँचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को देय व प्राप्त राजस्व का ब्यौरा पंचायत के निधि लेखों मे शुद्ध तथा तत्परता व नियमित रूप से निर्धारित वसूली करना तथा जमा किये/निकाले गए और अपने अधीन सभी स्त्रोतो जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, का लेखा जोखा प्रारूप 10 में मांग व संग्रहण रजिस्टर में तैयार किया जाएगा।

निदेशक एवं विशेष सचिव पचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच–एचसी (7)10/80 दिनांक 17.09.2008 के अनुसार ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरों को किराये पर देने के लिये निम्न कमेटी गठित की जाएगीः–

1.उपमण्डलाधिकारी/तहसीलदार (अध्यक्ष)

2.खण्ड विकास अधिकारी (सदस्य)

3.प्रधान सम्बन्धित ग्राम पंचायत (सदस्य)

4.पंचायत निरीक्षक (सदस्य)

5.पंचायत सचिव/पंचायत सहायक (सदस्य–सचिव)

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सम्बन्धित किरायेदार के साथ अनुबन्ध करेगी जिसमें ग्राम पंचायत निम्न शर्ते निर्धारित करेगीः–

1.सम्बन्धित व्यावसायिक परिसरों/भवनों का किराया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों से कम न हो।

2.किराये में वृद्धि का प्रावधान किराया नियन्त्रण अधिनियम के अनुरूप हो।

3.यदि किरायेदार किराया नहीं देता है या परिसर को नुकसान पहुँचाता है तो परिसर को 30 दिन की अवधि के अंदर खाली करने का प्रावधान रखा जाए।

4.किरायेदार को परिसर को आगे किसी व्यक्ति को किराये पर देने का अधिकार न हो और न ही उसे उसके उपयोग को परिवर्तित करेगा।

5.किरायेदार परिसर में किसी प्रकार निर्माण/परिवर्तन/अतिक्रमण नहीं करेगा।

6.सम्बन्धित व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने से पूर्व पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर खुली बोली से दिया जाएगा।

7.व्यावसायिक परिसरों/भवनों के पानी/बिजली के बिलों की अदायगी किरायेदार द्वारा की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा पंचायतों के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने सम्बन्धी जारी उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की गई थी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां/2025/277 दिनांकः–28.04.2025 के प्रत्युत्तर में, पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँक 07 दिनाँक 03.05.2025 द्वारा अंकेक्षण के दौरान सूचित किया कि, ग्राम पंचायत द्वारा संचालित 3 दुकाने व एक पोस्ट ऑफिस किराये पर दिया गया, परन्तु इन्हें किराए पर देने से पूर्व कमेटी का गठन नहीं किया गया और किरायेदारों के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इसके अभाव में यदि भविष्य में पंचायत को कोई वित्तीय हानि होती है तो यह चूककर्ताओं का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

उपरोक्त अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/282 दिनांकः 03.04.2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँक 07 दिनाँक 03.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, भविष्य में इस पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत स्पष्टीकरण उक्त दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है पंचायत हितों को सुरक्षित करने के लिये समय–समय पर जारी आदेशो–निर्देशों अनुसार अपेक्षित कदम यथाशीघ्र उठाया जाना सुनिश्चित करके किरायेदारों के साथ उपरोक्त निर्देशों व नियमानुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाये ताकि भविष्य में किराया वसूली में दिक्कत न आये एवं पंचायत हितों की सुरक्षा हेतु नियमानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त बढ़ते बकाया पंचायत राजस्व एवं पंचायती राज संस्थाओं के व्यावसायिक परिसरों को किराये पर देने सम्बन्धी दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का मामला पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक जाँच उपरान्त यथास्थिति नियमानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

8 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.02/–लाख को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः–04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार

राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या ''0070–60–108–01'' में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/277 दिनांकः–28.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट ''6''** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत चैतड़ू द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹2200/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु उसे सरकारी कोष/बैंक में जमा नहीं करवाया गया था, जिससे कि सरकारी कोष को प्राप्त आय की दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/283 दिनांकः–01.05.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत चैतड़ू के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी वसूली अंकेक्षण के दौरान ही करके खाता संख्या 20058006755 में दिनांक 03.05.2025 को जमा करवा दी गई, जबकि उक्त राशि सरकारी कोष में जमा करवाई जाना वांछित थी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क की इस राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति उपरान्त सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.06 लाख के स्टॉक का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत चैतड़ू के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट ''7''** के अनुसार ₹5800/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/284 दिनांकः–01.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–07 दिनांकः–03.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया

जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षणावधि में इस प्रकार कृत समस्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹0.67 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भण्डार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चैतडू के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट–"7"** पर संकलित राशि ₹66717/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे स्पष्ट है कि संस्था के स्टॉक रजिस्टर स्टोर/स्टॉक की सच्ची एवं सही स्थिति नहीं दर्शाते हैं, फलस्वरूप क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

इस दोहराई गई अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/285 दिनांकः–02.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–07 दिनांकः–03.05.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ,सामग्री का मदवार स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 03/2023 के **पैरा संख्या 10** मे दर्ज अंकेक्षणापति के दृष्टिगत, तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का पारदर्शी एवं उचित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10 निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹3.88/– लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 12/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹3,87,597/**–का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका:–

क्र0सं0 व अनुदान	**वाउचर सं/ दिनांक**	**बिल संख्या/ दिनांक**	**कार्य का नाम**	**भुगतान राशि (₹)**	**वांछित अभिलेख**
1.एस.डी. आर.एफ	पी/18/ 20.12.2024	340711/06. 01.2025	निर्माण व बचाव दीवार वार्ड 3 पार्किंग स्थल	20433	माप–पुस्तिका, प्ररूप 34
2.एस.डी. आर.एफ	पी/02/ 13.12.2024	मस्ट्रोल 06/4825	मुरम्मत जीप योग्य रास्ता मेंन रोड से कांता देवी पत्नी रमेश चन्द के घर की ओर वार्ड 5	52184	माप–पुस्तिका
3.एस.डी. आर.एफ	पी/03/ 20.12.2024	340710/06. 01.2025	पुर्न निर्माण, हैबिटेशन बचाव सुरक्षा दीवार द्वारा नजदीक घर अक्षय कुमार, छोटू राम भीमसेन और अन्य वार्ड –3	41700	माप–पुस्तिका, प्ररूप 34
4.मनरेगा	शून्य/ 06.12.2024	मस्ट्रोल 4011,4012	भूमि बचाव हेतु निर्माण सुरक्षा दीवार लेख राज, ओंकार पृथ्वी सिंह इत्यादि की जमीन के पास वार्ड 3	12600	माप–पुस्तिका, प्ररूप 34
5.मनरेगा	शून्य/06, 21.12.2024	मस्ट्रोल 4011,5,4016, 4686, 4687	निर्माण छोटी कुल्ह कृष्ण सिंह के घर से लेकर बलि भद्र सिंह की जमीन बाग तक वार्ड 3	55860	माप–पुस्तिका, प्ररूप 34
6.मनरेगा	शून्य/06, 21,12.2024	मस्ट्रोल 4017,4018,4684, 4685,4690	निर्माण अधूरी कूल्ह मेहर चन्द के घर से आगे की ओर वार्ड 5	67620	माप–पुस्तिका
7.मनरेगा	शून्य/	मस्ट्रोल, 4683	निर्माण ग्रामीण सम्पर्क मार्ग	7200	माप–पुस्तिका,

	21,12.2024		(ईटरलाकिंग टाईल्स) परवीन कुमार के घर से आगे की ओर वार्ड 1		प्ररूप 34
8.15वां वित	10,11/ 07.12.2024	1411,1413/ 26.11.2024	वाटर कूलर स्थापित करना शिव मन्दिर वार्ड 1	60000	प्राक्कलन, माप–पुस्तिका
9.15वां वित	12,13/ 07.12.2024	1414,1415/ 26.11.2024	वाटर कूलर स्थापित करना जी.एम.एस शंलागडी वार्ड 5	70000	प्राक्कलन, माप–पुस्तिका
			कुल योग	**387597**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत चैतडू से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/286 दिनांकः–02.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 07 दिनांक 03.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, माप–पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त राशि की माप–पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11.1 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹7.78/– लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 12/2024 के सभा निधि व विभिन्न अनुदानों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹778272/-- का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/290 दिनांकः–03.05.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत चैतडू के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–07 दिनांकः–03.

05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, वर्तमान समय से संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा ही भुगतान किया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमो के विरूद्ध किये गये भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11.2 सभा निधि में प्राप्त राशि ₹0.09/— लाख को बैंक में जमा न करवाने व सीधे तौर पर खर्च करने बारे।

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बन्धित बैंक खातो में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चैतड़ू के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, स्वः—स्त्रोतो से वसूल की गई निम्नविवरणानुसार आय को बैंक में जमा न करवाकर कार्यालय व्यय ,स्टेशनरी व ग्राम सभा व्यय इत्यादि के लिये सीधे खर्च कर दिया गया था, जिससे कि पंचायत स्व—स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह न केवल अनियमित ही नहीं, बल्कि आपतिजनक भी है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान ही अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/287 दिनांकः 02.05.2025 के अंर्तगत सचिव ग्राम पंचायत चैतड़ू के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 07 दिनांक 03.05. 2025 द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि करने उपरान्त स्पष्ट किया गया कि, उपरोक्त राशि को बैंक में जमा न करवाकर सीधे तौर पर खर्च किया गया। भविष्य में इस तरह की अनियमितता की पुनरावृति नहीं की जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर व इस कार्य प्रणाली को बंद करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

आय का विवरणः—

वितीय वर्ष	प्राप्त आय (₹)	बैंक में जमा करवाई गई राशि (₹)	बैंक में कम जमा करवाई गई राशि (₹)	विवरण
2024—25	9065	शून्य	9065	दुकान किराया, भु—राजस्व, सम्पति कर, विवाह शुल्क

व्यय का विवरणः—

क्रम संख्या	वाउचर सं0/ दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	क्रय की गई सामग्री	व्यय राशि (₹)
1	पी/4/24. 05.2024	3	अदायगी कार्यालय व्यय	1660
2	पी/20/13. 12..2024	17	अदायगी स्टेशनरी	1545
3	पी/28/27. 03..2025	24	अदायगी ग्राम सभा जलपान	2860
4	पी/31/27. 03..2025	25	अदायगी कार्यालय व्यय	3000
			कुल योग	**9065**

12 मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएंः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान व सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चैतड़ू द्वारा उपयोग में लाए गए मस्ट्रोलों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईः—

1. निम्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया था, जिस कारण से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को, प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका एवं मस्ट्रोलों के दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता। उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल जो कि तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित हैंः—

क्र•स•	अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	राशि (₹)
1	वी.के.वी.एन.वाई	08/20.12.2024	10/2024–25	30728
2	एस.डी.आर.एफ	17/13.12.2023	निल/4821	41056
3	एस.डी.आर.एफ	02/13.12.2024	06/2024–25	52184
4	15वां वित	18/09.12.2024	04/2024–25	11512
5	15वां वित	19/09.12.2024	09/2024–25	11964
6	15वां वित	29/20.12.2024	08/2024–25	12364

2.ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया था, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

3.पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त करेगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में वितीय अनियमितता की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/288 दिनांकः–03.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 07 दिनांक 03.05.2025 द्वारा अवगत करवाया कि, मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की भविष्य में नियमानुसार अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्युतर उपरोक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें अपेक्षित कार्रवाई करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा **परिशिष्ट "7"** के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईः–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जॉच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका, तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार माप–पुस्तिकाओं के लेखांकन के सम्बन्ध में कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/290 दिनांकः– 03.05.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत चैतड़ू को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–07 दिनांकः–03.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/277 दिनांकः 28.04.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–07 दिनांकः–03.05.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1.हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	—	7(3) एवं 10(1) तथा ''प्रारूप–5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	मांग व प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
6	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
12	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

2.हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	अनुदान रजिस्टर	8	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/277 दिनांकः–28.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–07 दिनांकः–03.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः—

16.1 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2024–25 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16.2 निर्माण कार्य के लिये मजदूरी भुगतान करने हेतु अनुमोदित प्राक्कलन दर द्वारा भुगतान न करके राशि ₹386 का अधिक भुगतान करने बारे :–

निर्माण नाली चैतड़ू वार्ड–1 की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि,निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 0172 के पृष्ठ संख्या 26 में शंटरिंग मद में मजदूरी भुगतान करने हेतु, अनुमोदित प्राक्कलन दर द्वारा न करके, अधिक दर द्वारा **₹386** /– का अधिक भुगतान किया गया था।

क्र0 सं0	अनुदान	मद	निष्पादित मात्रा	माप पुस्तिका में भुगतान हेतु दर्शाई गई दर	अनुमोदित प्राक्कलन दर ₹	अन्तर	अधिक भुगतान राशि
1.	15वां वित	Item-4 P/L formwork so as gave to rough for rcc in trenches for edges	2x30x.20 = 12m2	84.30	52.15	32.15	386

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/291 दिनांकः–03.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–07 दिनांकः–03.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त उक्त कार्य के लिये मजदुरी भुगतान करने हेतु अनुमोदित प्राक्कलन दर द्वारा न करके माप–पुस्तिका में अधिक दर द्वारा किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा कर व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत अधिक किये गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाकर व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि माप–पुस्तिकाओं में उच्च्य तकनीकी अधिकारियों के अनुमोदन/सत्यापन उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 लघु आपति विवरणिकाः– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके लघु विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः**— लेखों के रख—रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

01 JUL 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/प्रति0
4099 – 4103

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)86/2017—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत चैतड़ू, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

01 JUL 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/प्रति0

ANNEXURE -1(पैरा संख्या-4.1(क)

FINANCIAL POSITION OF GP CHETRU BLOCK DHARAMSHALA,DISTT KANGRA(HP)-176209 FOR THE YEAR 2024-25

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	322582	77732.00	400314.00	152308.00	248006.00

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	1011712.17	5419919.27	6431631.44	4674903.21	1756728.23

PRADHAN SECY.

GRAM PANCHYAT CHETRU

DEV. BLOCK Dharamshala (H.P.)

PANCHYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

ANNEXURE -2(पैरा संख्या-"6")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP CHETRU FOR THE YEAR 2024-25

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH SFC	2024-25	97594	321503.00	419097.00	380376	38721.00
2	VKVNY	2024-25	116623	161692.00	278315.00	179580.00	98735.00
3	SDP	2024-25	270038	113438.00	383476.00	280716.00	102760.00
4	SDRF	2024-25	0	389000.00	389000.00	190700.00	198300.00
5	RGSA	2024-25	15	0.00	15.00	0	15.00
6	SGSY	2024-25	47036	0.00	47036.00	0	47036.00
7	RAY	2024-25	1568	0.00	1568.00	0	1568.00
8	13TH FC	2024-25	119697	0.00	119697.00	0	119697.00
9	15TH FC	2024-25	359141.17	1380960.00	1740101.17	590204.94	1149896.23
10	MNREGA	2024-25	0	3053326.27	3053326.27	3053326.27	0.00
Total:-			1011712.17	5419919.27	6431631.44	4674903.21	1756728.23

PRADHAN SECY.
GRAM PANCHYAT CHETRU
DEV. BLOCK Dharamshala (H.P.)

27

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या "4.1(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत **चैतड़ू** विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176209

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत चैतड़ू के दिनांक 01-04-2024 व 31-03-2025 को बैंक शेष:-

क्र. सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-03-2024 को	बैंक शेष 31-03 -2025 को
01	पांचवा वित्त	के. सी .सी. बैंक गगल	20058021242	97594	38721
02	एस. डी. पी/ एस. डी. आर. एफ.	के. सी .सी. बैंक गगल	50060928854	270038	301060
03	वी. के. वी. एन. वाई .	के. सी .सी. बैंक गगल	50060928796	116623	98735
04	सभा निधि	के. सी .सी. बैंक गगल	20058006755	326484	247491
05	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	यूको बैंक चैतड़ू	33400110017135	359141.17	1157639.23
06	आर.जी.एस.ए.	एक्सिस बैंक धर्मशाला	922010000398941	15	15
	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2024 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			98	515
			कुल योग	1169993.17	1844176.23

PRADHAN SECY

GRAM PANCHYAT CHETRU

DEV. BLOCK Dharamshala (H.P.)

परिशिष्ट -04(पैरा संख्या "7.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत चैतड़ू विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.-176209

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम पंचायत चैतड़ू में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2024-25 में 527 परिवारों में सभी परिवारों से 50/- रूपये की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	40010	527	50	26350	66360	12700	53660

PRADHAN SECY

GRAM PANCHYAT CHETRU
DEV. BLOCK Dharamshala (H.P.)

परिशिष्ट -05(पैरा संख्या "7.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत चैतड़ू विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.-176209

ग्राम पंचायत द्वारा संचालित 3 दुकाने व एक डाकखाना कार्यालय ,का दिनांक 31-03-2025 को वसूली हेतू शेष किराया :-

वितीय वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	6300	31200	37500	23200	14300

PRADHAN SECY.

GRAM PANCHAYAT CHETRU

DEV. BLOCK Dharamshala (H.P.)

परिशिष्ट " 6 " (पैरा संख्या-8)

ग्राम पंचायत चैतड़ू, विकास खण्ड धर्मशाला,प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने से राजस्व हानि

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1	अतुल शर्मा स्पुत्र अशोक कुमार	5/3/2024	2/4/2024	181298	200	200	0
2	अभिषेक शर्मा स्पुत्र करतार चन्द	6/2/2024	2/4/2024	181299	400	400	0
3	वनीत कुमार स्पुत्र वलवीर सिंह	26/06/2024	5/8/2024	181323	400	400	0
4	अखिल ठाकुर स्पुत्र पृथ्वी सिंह ठाकुर	11/8/2024	16/08/2024	181324	200	200	0
5	राहुल स्पुत्र सुरिन्दर कुमार	7/10/2024	15/10/2024	181340	200	200	0
6	विशाल चौधरी स्पुत्र अशोक कुमार	21/10/2024	22/11/2024	181345	200	200	0
7	विशाल स्पुत्र अशोक कुमार	27/11/2024	6/1/2024	181357	400	400	0
8	अभिषेक शर्मा स्पुत्र नरेश शर्मा	25/02/2025	15/03/2025	181566	200	200	0
	Total:-				2200	2200	

PRADHAN SECY.
GRAM PANCHYAT CHETRU
DEV. BLOCK Dharamshala (H.P.)

परिशिष्ट–7 पैरा संख्या " 9.1 "

ग्राम पंचायत चैतड़ू विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश "9.2" औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना व स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.SF	20/13.12.2024	Stationary	2588/21.10.2024	M/s Wasan Enterprises Kacheheri D/shala	—	—	1545	Stock Entry
2.SF	23/20.12.2024	Havells Heater(INC. GST 18%)	1468/19.12.2024	M/s Raju Elecrtical Sidhbari	2	2900	5800	Two Quatations Shown,Stock Entry
3.15TH FC	11/07.12.2024	Water cooler Plastic Tanki(300ltr) ,Electricity fitting with material	1413/26.11.2024	M/s Himachal Traders Dodhamb	—	—	20100	Stock Entry
4.15TH FC	13/07.12.2024	Water cooler structure &tanki(300 ltr)plumbing &electricity fitting	1415/26.11.2024	M/s Himachal Traders Dodhamb	—	—	14500	Stock Entry
5.15TH FC	14/07.12.2024	Water Dispenser Hot&Cold	1416/26.11.2024	M/s Himachal Traders Dodhamb	2	12386	24772	Stock Entry
						G/Total	66717.00	

नोट:- 1 क्रम संख्या 2 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया।
2 क्रम संख्या 1 से 5 तक की स्टॉक प्रविष्टियों को इन्द्राज नहीं किया गया

PRADHAN SECY.

GRAM PANCHYAT CHETRU
DEV. BLOCK Dharamshala (H.P.)